निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1938 (श0)
(सं0 पटना 984) पटना, वृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2016

परिवहन विभाग

अधिसूचना
16 नवम्बर 2016

सं0 02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)-35/2014-6737—मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा– 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली,1992 के नियम 74 को प्रतिस्थापित करना चाहते है जिसका अधिनियम की धारा–212 द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप एतद्द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ, प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर, उक्त प्रारूप के संबंध में, सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा:–

संशोधन प्रारूप

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–212 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद्द्वारा, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाना चाहते है जिसका अधिनियम की धारा–212 के अधीन यथापेक्षित पूर्व प्रकाशन विभागीय जी०एस०आर० ...., दिनांक .... द्वारा किया जा चुका है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।– (1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली,2016 कही जा सकेगी, यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का नियम 74 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

" **74** –अधिनियम के अध्याय V के अधीन आवेदन के साथ भुगतेय फीस निम्नलिखित होगी :–

पाँच वर्षो के लिए अस्थायी परमिट से भिन्न किसी दुसरे परमिट की शर्तों की स्वीकृति या नवीकरण या परिवर्तन के लिए भुगतेय फीस।

गाड़ी का प्रकार		भुगतेय फीस (रू० में)
विशेष स्टेज कैरेज	–	7000.00
स्टेज कैरेज सेवा	–	7000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरकैब से भिन्न एक क्षेत्र के लिए	–	3000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरकैब से भिन्न दो क्षेत्र के लिए	–	4000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरकैब से भिन्न दो से अधिक क्षेत्रों के लिए	–	7000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मीटर के साथ कैब (कार) हेतु एक क्षेत्र के लिए	–	2000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मीटर के साथ कैब (कार) हेतु दो क्षेत्रों के लिए	–	4000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मीटर के साथ कैब (कार) हेतु दो से अधिक क्षेत्रों के लिए	–	6000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर के साथ मोटर कैब (कार) के लिए एक या अधिक क्षेत्र के लिए	–	10000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार) के लिए स्पेशल परमिट के साथ एक अथवा अधिक क्षेत्र हेतु	–	15000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ एक क्षेत्र के लिए	–	3000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ दो क्षेत्रों के लिए	–	4000.00
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ दो से अधिक क्षेत्रों के लिए	–	5000.00
निजी वाहक (प्राइवेट कैरियर)	–	3000.00
लोक वाहक (पब्लिक कैरियर) एक क्षेत्र के लिए	–	3000.00
लोक वाहक (पब्लिक कैरियर) दो क्षेत्रों के लिये	–	5000.00
लोक वाहक (पब्लिक कैरियर) दो से अधिक क्षेत्रों के लिये	–	7000.00
निजी मोटरकार चालक को छोड़कर 9 (नौ) से अधिक यात्रियों को ढ़ोने योग्य	–	1000.00

(क) परमिट की स्वीकृति या नवीकरण या शर्तों के विचलन हेतु आवेदन पत्र नीचे विहित फीस के साथ दाखिल किये जायेंगे:–

गाड़ी का प्रकार		भुगतेय फीस (रू० में)
विशेष स्टेज कैरेज	–	500.00
स्टेज कैरेज सेवा	–	500.00
कॉन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष)	–	150.00
निजी वाहक (प्राइवेट कैरियर) परमिट	–	150.00
लोक वाहक (पब्लिक कैरियर) परमिट	–	200.00
निजी मोटर कार (भाड़े या पारितोषिक के लिए व्यवहृत चालक एवं संवाहक को छोड़कर नौ से अधिक बैठान क्षमता के साथ) के लिए।	–	150.00

(ख) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की स्वीकृति या नवीकरण या प्रतिहस्ताक्षर के लिये देय फीस निम्नलिखित होगी :—

गाड़ी का प्रकार		भुगतेय फीस (रू० में)
1. राज्य के भीतर एक क्षेत्र के मार्ग अथवा मार्गों या उपक्षेत्र अथवा उपक्षेत्रों के लिए।	—	2000.00
2. राज्य के भीतर एक से अधिक क्षेत्र में मार्ग अथवा मार्गों या उपक्षेत्र अथवा उपक्षेत्रों के लिए दूसरे राज्य द्वारा निर्गत परमिट के लिए।	—	2500.00
3. राज्य के भीतर मार्ग अथवा मार्गों या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिये दूसरे राज्य द्वारा निर्गत परमिट के मामले में।	—	3000.00
4. अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन शुल्क।	—	500.00
5. स्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन शुल्क।	—	500.00

(ग) अर्न्तक्षेत्रीय या अर्न्तराज्यीय (प्रत्येक प्रयोजन के लिये अलग–अलग) स्थायी परमिट के लिए देय फीस :—

गाड़ी का प्रकार		भुगतेय फीस (रू० में)
प्रत्येक 7 (सात) दिन या उसके किसी भी भाग के लिए।	—	200.00
चार माह के लिये (ऑटो रिक्शा के अतिरिक्त)।	—	1000.00
चार माह के लिए (ऑटो रिक्शा)।	—	135.00

(घ) परमिट के अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर के लिए देय फीस :—

गाड़ी का प्रकार		भुगतेय फीस (रू० में)
1. राज्य के भीतर मार्ग अथवा मार्गों या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिए मान्य।	—	1000.00
2. इस राज्य के भीतर दूसरे राज्य द्वारा निर्गत परमिट के मामले में मार्ग अथवा मार्गों या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिए।	—	2000.00

(ड़) परमिट से आवृत वाहन को दूसरे वाहन से बदलने के लिये अथवा उसके स्थानांतरण या परमिटधारी का पता बदलने के लिए फीस होगी	—	1000.00
(च) टैक्सी मीटर के अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र के मामले में फीस होगी	—	1000.00
(छ) परमिट स्थानांतरण के लिए फीस होगी।	—	2000.00
(ज) परमिट या उसके अंश (पार्ट ए या बी या प्राधिकरण या परमिट का कोई अंश) के खो जाने अथवा बर्बाद होने की स्थिति में परमिट अथवा उसके अंश के बदले परमिट अथवा उसके अंश की द्वितीय प्रति निर्गत करने के लिए फीस होगी	—	300.00

(झ) परमिट से संबंधित अन्य फीस निम्नवत होगी :—

"(i) समय–सारणी में परिर्वतन हेतु आवेदन फीस	—	3000.00
(ii) प्रत्येक आवेदन एवं आपति दाखिल करने के लिए प्रक्रिया फीस	—	1000.00
(iii) अस्थायी माल वाहक परमिट के लिए आवेदन फीस	—	300.00
(iv) अस्थायी सवारी गाड़ी परमिट के लिए आवेदन फीस	—	300.00
(v) अस्थायी ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन फीस	—	300.00
(vi) अस्थायी निजी सेवा वाहन परमिट के लिए आवेदन फीस (नौ सीट से अधिक चालक के अतिरिक्त।	—	300.00
(vii) राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत मालवाहक के स्थायी परमिट हेतु आवेदन फीस	—	500.00"

(ञ) अपील एवं पुनरीक्षण हेतु फीस निम्नलिखित होगी :–

"(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–89 और उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन अपील या आदेश के पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन फीस – 2000.00

(ii) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–89 और उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन अपील या पुर्नरीक्षण से संबंधित किसी दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिए निर्गत आदेश की अभिप्रमाणित प्रति हेतु फीस – 10.00 रूपये प्रथम पृष्ठ तथा 2.00 रूपये अतिरिक्त पृष्ठ प्रति दस्तावेज।"

3. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 31, नियम 82, नियम 96 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगे :–

31. चालक / संवाहक के बैज निर्गत करने का फीस :–

(i) चालक के बैज हेतु फीस – 100.00

(ii) संवाहक के बैज हेतु फीस – 100.00

82. स्वीकृत अस्थायी / स्थायी किसी तरह के परमिट की वैधता की समाप्ति के 15 दिनों पूर्व, नवीकरण हेतु आवेदन वाहन स्वामी द्वारा विहित प्रपत्र में दिया जायेगा और उसमें असफल होने पर निम्नलिखित विलम्ब फीस भुगतेय होगी :–

	अवधि		विलम्ब फीस
(i)	परमिट की वैधता की समाप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर	–	शून्य
(ii)	परमिट की वैधता की समाप्ति की अंतिम तिथि के बाद, 30 दिनों के अन्दर	–	300.00
(iii)	परमिट की वैधता की समाप्ति के 30दिन के बाद परन्तु 60 दिनों के अन्दर	–	600.00
(iv)	परमिट की वैधता की समाप्ति 60 दिनों के परन्तु बाद 90 दिनों के अन्दर	–	1200.00
(v)	परमिट की वैधता की समाप्ति के 90 दिनों के बाद	–	90 दिन के लिए 2400 + प्रति माह 300 रू० या 90 दिन से अधिक जो भी अधिक हो, रू० 10000.00 के अध्यधीन

96. विभिन्न जाँचों के लिए फीसः–

(i) नये प्रकार के टैक्सी मीटर की जाँच, पूर्ण परीक्षण के लिये – 300 रू०, नन–स्टाफ की जाँच के लिए 60.00 रूपये।

(ii) अनुमोदित टैक्सी मीटर को अपूर्ण जाँच अनुमोदित प्रकार के किसी मीटर की अपूर्ण जाँच हेतु फीस – 60.00, प्रत्येक दुबारा जाँच के लिए 30.00 रूपये।"

4. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 101 के उप–नियम (9) में प्रयुक्त शब्द "एक हजार रूपये " शब्द "तीन हजार रूपये " द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

5. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 103 के बाद निम्नलिखित नया नियम 103क एवं 103ख क्रमशःजोड़े जायेंगे :–

103.क, अभिकर्त्ता अनुज्ञप्ति की स्वीकृतिः–

(1) बिहार मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 103 के उप–नियम (4) के तहत संग्रहण, अग्रेषण एवं वितरण अनुज्ञप्ति के निर्गमन तथा प्रत्येक नवीकरण के लिये निर्धारित प्रतिभूति फीस – 15000.00

(2) बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 103 (4) के अधीन अभिकर्त्ता को अनुज्ञप्ति देने और प्रत्येक नवीकरण के लिये आवेदन फीस – 450.00

(3) अभिकर्त्ता को अनुज्ञप्ति देने और प्रत्येक नवीकरण के लिये अनुज्ञप्ति फीस – 1500.00

(4) संग्रहण बुकिंग और वितरण अभिकर्त्ता को मूल स्थापना अनुज्ञप्ति देने और हरेक नवीकरण के लिये आवदेन फीस – 3000.00

(5) संग्रहण बुकिंग और वितरण अभिकर्त्ता को पूरक स्थापना अनुज्ञप्ति देने और हरेक नवीकरण के लिये फीस – 2500.00

(6) ऐसे अनुज्ञप्ति की मूल प्रति के खो जाने, बरबाद हो जाने, फट जाने या विरूपित हो जाने के मामले में द्वितीयक प्रति हेतु फीस – 200.00

103ख, मोटरयान अधिनियम,1988 के अधीन उपबंधित निम्नलिखित फीस अनिवार्य रूप से भुगतेय होगी :–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 की उप–धारा (2) एवं धारा 114 के उप–धारा (1) के प्रयोजनार्थ क्षमता से अधिक लदान भार वहन करने वाले वाहन से अधिक भार को हटाकर भंडारण करने के लिए फीस – रू० 200.00 प्रति एक सौ किलोग्राम प्रतिदिन

(ii) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के साथ पठित बिहार मोटरगाड़ी नियमावली,1992 के नियम 80 के अधीन परमिट हेतु आवेदन एवं आपति दाखिल करने हेतु प्रक्रिया फीस – 1000.00

6. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 163ग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"163 ग वाहन जांच एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र के निर्गम के लिए फीस निम्नलिखित होगी :–

वाहनों का प्रकार		अवधारित फीस दर		अवधारित फीस में से सरकार को दी जानेवाली राशि
(1) दुपहिया वाहन	–	50.00	–	20.00
(2) तीन पहिया वाहन	–	80.00	–	30.00
(3) चार पहिया वाहन	–	120.00	–	40.00
(4) मध्यम वाहन	–	200.00	–	80.00
(5) भारी वाहन	–	500.00	–	200.00

7. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 163 छ का उप–नियम (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(4) इस नियम के अधीन परिवहन आयुक्त को भुगतेय फीस की दर निम्नलिखित होगी:–

(क)	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए फीस	–	12000.00
(ख)	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र की अनुज्ञप्ति की नवीकरण करने के लिए फीस	–	12000.00
(ग)	मोटर वाहनों की जांच हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र की द्वितीयक अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए फीस	–	500.00
(घ)	नियम 163 छ के उप–नियम (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए फीस	–	1200.00
(च)	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के अनुज्ञप्ति निर्गमन/नवीकरण करने हेतु आवेदन फीस	–	3000.00
(छ)	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थल परिवर्त्तन हेतु आवेदन फीस	–	3000.00
(ज)	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थल परिवर्त्तन हेतु निरीक्षण फीस	–	2000.00 "

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
सरकार के प्रधान सचिव।

---

16 नवम्बर 2016

सं0 02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)–35/2014 अधिसूचना सं0–6737 दिनांक 16.11.2016 का अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
सरकार के प्रधान सचिव।

375

The 16th November 2016

No. 02/सी०एम०टी०(शुल्क संशोधन)–35/2014—6737—In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar desires to make the following amendments in the Bihar Motor Vehicles Rules, 1992, Prior publication of which required under section 212 of the Act has been done through G.S.R. No. 26, dated 27th October 1995.

Draft of Amendment

In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to the Bihar Motor Vehicles Rules, 1992, Prior publication of which as required under section 212 of the Act has been made by Departmental G.S.R. No. .... Dated........................

1. Short title, extent and commencement:- (1) This rule may be called Bihar Motor Vehicle (Amendment) rule, 2016. It shall come into force with immediate effect.

(2) It shall be enforced to the whole of the state of Bihar.

2. Rule-74 of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 shall be substituted by the following:-

" 74-The following application fee payable under section V of Act.

Payable fee for issuance or renewal or change in the condition of a permit other than temporary permit for five years :-

Type of vehicle		**Payable fee (in rupees)**
Special Stage carriage	-	7000.00
Stage carriage service	-	7000.00
Contract carriage (casual or special) other than Motor cab, for one region.	-	3000.00
Contract carriage (casual or special) other than Motor cab, for two regions.	-	4000.00
Contract carriage (casual or special) other than Motor cab for more than two regions.	-	7000.00
Contract carriage (casual or special) cab (Car) with meter, for one region.	-	2000.00
Contract carriage (casual or special) cab (Car) with meter for two regions.	-	4000.00
Contract carriage (casual or special) cab (Car) with meter for more than two regions.	-	6000.00
Contract carriage (casual or special) for a Motor cab (Car) without meter, for one or more regions.	-	10000.00
Contract carriage (casual or special) for Motor cab (Car) for one or more regions with special permit.	-	15000.00
Contract carriage (casual or special) for a Motor cab (other than a Car) with or without meter for one region.	-	3000.00
Contract carriage (casual or special) for a Motor cab		

(other than a Car) with or without meter, for two regions	-	4000.00
Contract carriage (casual or special) for a Motor cab		
(other than a Car) with or without meter for more than two regions	-	5000.00
Private carrier.	-	3000.00
Public Carrier for one region.	-	3000.00
Public carrier for two regions.	-	5000.00
Public carrier for more than two regions.	-	7000.00
Private Motor cab (with seating capacity 9 in excluding.	-	1000.00

(A) An application for grant or renewal or change of conditions of a Permit shall be accompanied by a fee prescribed below:-

Type of vehicle		**Payable fee (in rupees)**
Special Stage carriage	-	500.00
Stage Carriage Service	-	500.00
Contract carriage (Casual or Special)	-	150.00
Private Carrier Permit	-	150.00
Public Carrier Permit	-	200.00
Private Motor Car (More than 9 seats except driver & Conductor)	-	150.00

(B) Fee payable for grant or renewal or counter signature of a permit other than temporary Permit or will be as follows:-

Type of vehicle		**Payable fee (in rupees)**
1. For route or routes or sub route or sub routes for a region within the state	-	2000.00
2. For route or routes or sub route or sub routes for more than one region within the state for a permit issued by another State.	-	2500.00
3. For route or routes or sub route or sub routes for a region within the state for a permit issued by another State.	-	3000.00
4. Application fee for counter signature of a temporary permit	-	500.00
5. Application fee for counter signature of a permanent permit	-	500.00

(C) Fee payable for Inter region or Inter State Permanent permit (Separate in each case):-

Type of vehicle		**Payable fee (in rupees)**
For 7 days or any part thereof.	-	200.00
For 4 month (other than Auto Rickshaw)	-	1000.00
For 4 month (Auto Rickshaw)	-	135.00

(D) Fee payable for Temporary Counter signature of a permit:-

Type of vehicle		**Payable fee (in rupees)**
1. For Route or routes or region or regions within the State.	-	1000.00

2.	For Route or routes or region or regions within the State for a permit issued by another State.	-	2000.00
(E)	For replacement of a vehicle covered by a permit or transfer or change in address of a permit holder.	-	1000.00
(F)	Fee for an Application for approval of a taxi meter.	-	1000.00
(G)	Fee for Transfer of a permit.	-	2000.00
(H)	Fee for issuance of a duplicate copy of a permit.	-	300.00
(I)	The following fee payable related to permit:-		
(i)	Application fee for change of time-table.	-	3000.00
(ii)	process fee for each application and file of complain	-	1000.00
(iii)	Application fee for temporary goods permit	-	300.00
(iv)	Application fee for temporary passenger permit	-	300.00
(v)	Application fee for temporary contract permit	-	300.00
(vi)	Application fee for temporary permit of private Service Vehicle. (more than 9 seats extra driver)	-	300.00
(vii)	Application fee for permanent permit for national Permit holder goods vehicle.	-	500.00
(J)	The following fee shall be for Appeal and revision:-		
(i)	Application fee for appeal or revision of an order under rule, 89 of Motor Vehicle Act, 1988	-	2000.00
(ii)	Fee for a certified copy of a document related to an Appeal or revision under rule, 89 of Motor Vehicle Act, 1988 or any rule made under it.	-	Rs. 10.00 for first page and rupees 2.00 for every extra page.

3. Rule 31, rule 82 and rule 96 of Bihar Motor Vehicle rule, 1992 shall be substituted by the following respectively:-

"31. Fee for issue of badge of driver/conductor:-

(i) Fee for badge of driver	-	100.00
(ii) Fee for badge of conductor	-	100.00

82. The following Late fee shall be payable if an owner of vehicle fails to apply for renewal within 15 days from the date of expiry of a Temporary Permit/permanent Permit:-

Duration		**Amount of late fee**
(i) Up to expiry date or within 15 days of the expiry date.	-	NIL
(ii) After the date of expiry but within 30 days	-	300.00
(iii) After 30 days of the date of expiry, but within 60 days of the date of expiry	-	600.00

(iv)	After 60 days, but within 90 days after the date of expiry	- 1200.00
(v)	After 90 days of expiry of the validity of permit	- Rs. 2400 for 9 days+Rs. 300 per month or beyond 90 days subject to maximum of Rs.10000/-

96. Payable fee of a taxi meter:-

(i)	Test fee for new taxi meter	-300.00 Rupees 60.00 for test of non staff.
(ii)	Test fee for all certified test of a taxi meter	-60.00 Rupees 30.00 for every second test

4. The words "one thousand" used in sub-rule (9) of rule 101 of Bihar Motor Vehicle rules, 1992 shall be substituted by the words "Three thousand."

5. The following new Rules 103 A & 103 B will be added respectively after rule 103 of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992:-

103 A. Acceptance of Agent licence:-

(1)	Licence fee for an Agent licence & renewal thereof under rule, 103 (4) of Bihar Motor Vehicle rule, 1992	- 15000.00
(2)	Application fee for an agent licence & renewal thereof under rule, 103 (4) of Bihar Motor Vehicle rule, 1992	- 450.00
(3)	Fee for granting licence and renewal thereof	- 1500.00
(4)	Fee for granting licence and renewal thereof for an Agent for collection on account of booking and transfer of the proceeds.	- 3000.00
(5)	Fee for granting supplementary licence and renewal thereof for an Agent for collection on account of booking and transfer of the proceeds.	- 2500.00
(6)	Fee for granting duplicate copy of licence for an Agent for collection on account of booking and transfer of the proceeds.	- 200.00

103 B. The following compulsory fee payable of Motor Vehicle Act, 1988:-

(i) The fees for storage of over loaded from vehicle carrying more than permissible load under subsection 2 of sec. 1994 and subsection 1 of section 114 of Motor Vehicle Act, 1988. -Rs. 200.00 per hundred kg. per day

(ii) Process fee for filing an application and an objection under rule 88 of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 read with section 66 of Central Motor Vehicle Act, 1988 - Rs. 1000.00

6. Rule-163 C. of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 shall be substituted by the following:-

" 163 C. The following payable fee for issue of certificate for pollution control and vehicle test :-

Type of vehicle	**New fixed rate**	**Amount payable to Government from the new fixed rate.**
(1) Two wheeler	50.00	20.00
(2) Three wheeler	80.00	30.00
(3) Four wheeler	120.00	40.00

(4) Medium vehicle	200.00	80.00
(5) Heavy vehicle	500.00	200.00

7. Sub Rule (4) of rule 163 G. of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 shall be substituted by the following:-.

"(4) The following payable fee of Transport Commissioner under this rule:-

(a)	Fee for issue of licence of pollution testing centre for test of Motor vehicle.	-	Rs. 12000.00
(b)	Fee for renewal of the licence of pollution testing centre for the test of Motor vehicle.	-	Rs. 12000.00
(c)	Fee for issue of second licence of pollution testing centre for test of Motor vehicle.	-	Rs. 500.00
(d)	Fee for appeal against order of the licensing authority as per sub rule (1) of 163(G) of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992.	-	Rs. 1200.00
(e)	issue of licence/ renewal for test of Motor vehicle	-	Rs. 3000.00
(f)	Fee for place change of pollution testing centre for test of Motor vehicle	-	Rs. 3000.00
(g)	Fee for inspection fee of place change of pollution testing centre for test of Motor vehicle	-	Rs. 2000.00

By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Principal secretary to Government.,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 984-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in